

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुभाग

क्रमांक:-प.15(1)वित्त/नियम/2017 पार्ट-11

जयपुर, दिनांक:- 01 AUG 2023

स्पष्टीकरण

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14(2) एवं 15(2) में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26.07.2023 द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया गया है:-

"Benefit of pay fixation available at the time of normal promotion shall be allowed at the time of financial upgradations under the scheme."

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 20 एवं राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 26ए(1) में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किये जाने के नियमों में अधिसूचना दिनांक 26.07.2023 द्वारा संशोधन किया गया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14(7) एवं अनुसूची-VI के बिन्दु संख्या (2) के प्रावधानों में एसीपी योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन में आगामी ठीक उच्चतर (immediate next higher Pay Level) पे-लेवल दिये जाने का प्रावधान है।

पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का लाभ दिये जाने के प्रावधान में किये गए संशोधन के अनुरूप एसीपी योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन में वेतन निर्धारण का लाभ दिये जाने हेतु विद्यमान नियम 14(2) एवं 15(2) के प्रावधानों को भी संशोधित किया गया है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन के अनुसार एसीपी योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन में विद्यमान पे-लेवल में एक वेतन वृद्धि जोड़कर ठीक आगामी उच्चतर पे-लेवल (immediate next higher Pay Level) में आगामी सैल में वेतन निर्धारण का लाभ देय किया गया है।

कतिपय विभागों द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14(2) एवं 15(2) में किये गये उक्त संशोधन के क्रम में एसीपी योजना के अन्तर्गत यदि पदोन्नति पद के पे-लेवल स्वीकृत कर वेतन निर्धारण किया गया है, तो ऐसे आदेशों को तुरन्त संशोधित करावें।


(रोहित गुप्ता)

शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
10. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
11. समस्त कोषाधिकारी।
12. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)।
15. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।



(सुरेश कुमार वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव-।

(RCS(RP)2017 – 08/2023)